



फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम



अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट

श्री यूसुफ खान पुत्र श्री सरदार बुलन्द खान  
जाति मुसलमान  
निवासी होटल गुडलक रेजीडेन्सी आबूपर्वत  
जिला सिरौही

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत

किस्म मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं.6 वर्ष 2021

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
09.11.2021	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को दिनांक 07.07.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि वर्ष 2019, 2020 एवं 2021 तक कुल कितने लोगों को नगरपालिका द्वारा जांच के बाद टोकन दिए गए एवं आवासीय में, वाणिज्यिक भूमि पर एवं कृषि भूमि पर एवं खसरा संख्या 223 में कितने लोगों को अनुमति दी गई एवं जिन लोगों को अनुमति दी गई उनकी सूची दिलवाए जाने से संबंधित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को दिनांक 07.07.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि वर्ष 2019, 2020 एवं 2021 तक कुल कितने लोगों को नगरपालिका द्वारा जांच के बाद टोकन दिए गए एवं आवासीय में, वाणिज्यिक भूमि पर एवं कृषि भूमि पर एवं खसरा संख्या 223 में कितने लोगों को अनुमति दी गई एवं जिन लोगों को अनुमति दी गई उनकी सूची दिलवाए जाने से संबंधित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को आदेशित किया जाता है कि अपीलांत द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें । यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांत को सूचित करें । पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।</p>	<p style="text-align: right;">             (भगवती प्रसाद)            जिला कलक्टर, सिरौही   </p>